(17)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०नं० 26/14 तारीख रजू 7.5.14

उनवान - बच्चू लाल बनाम हरलाल वगै०

दावा बाबत घोषणा खातेदारी तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड. ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 02-6.14 को पेश हो।

1051-72
14-5-14

हस्ता०
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

2/6/14

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 की ओर से श्री विजयभारती एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 20 ता 23 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी नम्बर 8 ता. 19 के सम्मन विधिवत तामील नहीं कराये हैं। वादी वकील इनके पुनः सम्मन तलवाना पेश करें। वास्ते तलबी एवं जवाब दिनांक 4.7.14 को पेश हो। हस्ता०

4.7.14 वकुलाय उप०। वादी वकील ने कथन किया है कि तामील कराने वाले कर्मचारी ने प्रति.नं. 8 ता. 19 के प्रतिवादीगण की तामील सही नहीं कराने के संबंध मे कार्यवाही फरमाई जावे। तहसीलदार टोडाभीम को पत्र लिखा जावे कि तामील कराने वाले कर्मचारियों को पाबंद किया जावे कि सम्मनों की तामील C.P.C के प्रावधानों

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

जनरल पेशी से पेश हुई। वकुलाय उप०। वादी वकील ने प्रतिवादी नं. 8 से 19 के सम्मन तलवाना पेश नहीं किये है पेश करने एक मौका और चाहा। प्रकरण में वादी वकील को सम्मन तलवाना पेश करने पर्याप्त समय दिया गया है न्याय हित में एक अंतिम मौका दिया जाकर हिदायत की जाती है कि आगामी सुनवाई तिथी तक सम्मन तलवाना पेश करें। वास्ते तलबी दिनांक 10.8.16 को पेश हो।

10.8.19

वकुलाय उप०। वादी वकील ने कथन किया है कि वादी बच्चू सिंह फौत हो चुका है वादी वकील O22 R 3 पेश करे व तलबी हेतु तलवाना पेश करे। दिनांक 15.9.16 को पेश हो।

15.9.16 वकुलाय उप०। P.O. मॉनिटरिंग में पचोरे है वास्ते तलबी दिनांक 29.9.16 को पेश हो।

29.9.16 पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज दिलाई गई फिर भी वादी वकील उपस्थित नहीं है अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner